

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/5764 भोपाल, दिनांक 19/05/2021
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक-6299(0103) में
जिला पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय हेतु बजट आवंटन जारी करने बाबत।

- 00 -

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 350/आर 22/2021/ब-1/चार, दिनांक 31.03.2021 से पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये आवंटन प्राप्त हैं। प्राप्त आवंटन के आधार पर पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मांग संख्या-62 के योजना क्रमांक-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण मद अंतर्गत सेगमेंट-0103 में जिला पंचायत के आहरण संवितरण अधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-8 अनुसार सदस्यों के मानदेय में कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि 203.617 लाख (राशि रुपये- दो करोड़ तीन लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) का आवंटन आपके अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-पंचायत शीर्ष-2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-[02]-खानो का विनिमय तथा विकास-{198-ग्राम पंचायतों को सहायता}-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना(सब स्कीम)-#42-सहायक अनुदान-007-अन्य, मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

टीप:- बकाया कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पं-1, दिनांक 18.04.2013 में उल्लेखित दर तथा बढ़े हुए कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं-1, दिनांक 25.01.2021 में उल्लेखित दर से किया जाना सुनिश्चित करे।(छायांप्रति संलग्न)


निरंतर...

// 02 //

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययतों संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आबंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आबंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्न :-परिशिष्ट
(संचालक द्वारा अनुमोदित)


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/5765
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 19/05/2021

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों) के मानदेय हेतु योजना क्रमांक-8209(196) तथा कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299(0103) से द्वितीय त्रैमास तक के लिए जारी राशि का विवरण

(राशि रूपये में)


| क्रमांक | जिले का नाम | डी.डी.ओ. कोड | प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु जारी राशि | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | अध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196) | उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196) | सदस्य जिला पंचायत 8209(196) | योग 8209(196) | सदस्य जिला पंचायत (6299-0103) | कुल जारी राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बालाघाट | 0105802002 | 77700 | 31500 | 105900 | 215100 | 681600 | 896700 |
| 2 | बड़वानी | 0205802001 | 77700 | 31500 | 52100 | 161300 | 325900 | 487200 |
| 3 | बैतूल | 0305802031 | 77700 | 31500 | 86900 | 196100 | 543100 | 739200 |
| 4 | भिण्ड | 0405802019 | 77700 | 31500 | 82000 | 191200 | 516500 | 707700 |
| 5 | भोपाल | 0505802003 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 6 | छतरपुर | 0605802014 | 77700 | 31500 | 86400 | 195600 | 543600 | 739200 |
| 7 | छिन्दवाड़ा | 0705802015 | 77700 | 31500 | 108600 | 217800 | 647400 | 865200 |
| 8 | दमोह | 0805802001 | 77700 | 31500 | 56500 | 165700 | 353000 | 518700 |
| 9 | दतिया | 0905802004 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 10 | देवास | 1005802012 | 77700 | 31500 | 69700 | 178900 | 434300 | 613200 |
| 11 | धार | 1105802008 | 77700 | 31500 | 108600 | 217800 | 678900 | 896700 |
| 12 | डिंडोरी | 1205802010 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 13 | गुना | 1305802015 | 77700 | 31500 | 52100 | 161300 | 325900 | 487200 |
| 14 | ग्वालियर | 1405802010 | 77700 | 31500 | 47700 | 156900 | 298800 | 455700 |
| 15 | हरदा | 1505802005 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 16 | होशंगाबाद | 1605802023 | 77700 | 31500 | 56500 | 165700 | 353000 | 518700 |
| 17 | इंदौर | 1705802003 | 77700 | 31500 | 65400 | 174600 | 407100 | 581700 |
| 18 | जबलपुर | 1805802019 | 77700 | 31500 | 65400 | 174600 | 407100 | 581700 |
| 19 | झाबुआ | 1905802002 | 77700 | 31500 | 52100 | 161300 | 325900 | 487200 |
| 20 | कटनी | 2005802010 | 77700 | 31500 | 52100 | 161300 | 325900 | 487200 |
| 21 | खण्डवा | 2105802023 | 77700 | 31500 | 61000 | 170200 | 380000 | 550200 |
| 22 | खरगौन | 2205802122 | 77700 | 31500 | 104500 | 213700 | 651500 | 865200 |
| 23 | मंडला | 2305802004 | 77700 | 31500 | 61000 | 170200 | 380000 | 550200 |
| 24 | मंदसौर | 2405802012 | 77700 | 31500 | 65400 | 174600 | 407100 | 581700 |
| 25 | मुरैना | 2505802004 | 77700 | 31500 | 78400 | 187600 | 488600 | 676200 |
| 26 | नरसिंहपुर | 2605802006 | 77700 | 31500 | 56500 | 165700 | 353000 | 518700 |
| 27 | नीमच | 2705802002 | 77700 | 31500 | 34400 | 143600 | 217600 | 361200 |
| 28 | पन्ना | 2805802010 | 77700 | 31500 | 52100 | 161300 | 325900 | 487200 |
| 29 | रायसेन | 2905802002 | 77700 | 31500 | 65400 | 174600 | 407100 | 581700 |
| 30 | राजगढ़ | 3005802010 | 77700 | 31500 | 69700 | 178900 | 434300 | 613200 |

६

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य) के मानदेय हेतु योजना क्रमांक-8209(196) तथा कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299(0103) से द्वितीय त्रैमास तक के लिए जारी राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

| क्रमांक | जिले का नाम | डी.डी.ओ. कोड | प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु जारी राशि | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | अध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196) | उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196) | सदस्य जिला पंचायत 8209(196) | योग 8209(196) | सदस्य जिला पंचायत (6299-0103) | कुल जारी राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | रतलाम | 3105802015 | 77700 | 31500 | 61000 | 170200 | 380000 | 550200 |
| 32 | रीवा | 3205802019 | 77700 | 31500 | 130000 | 239200 | 815000 | 1054200 |
| 33 | सागर | 3305802018 | 77700 | 31500 | 108600 | 217800 | 678900 | 896700 |
| 34 | सतना | 3405802014 | 77700 | 31500 | 104100 | 213300 | 651900 | 865200 |
| 35 | सीहोर | 3505802006 | 77700 | 31500 | 65400 | 174600 | 407100 | 581700 |
| 36 | सिवनी | 3605802021 | 77700 | 31500 | 74000 | 183200 | 461500 | 644700 |
| 37 | शहडोल | 3705802004 | 77700 | 31500 | 56600 | 165800 | 352900 | 518700 |
| 38 | शाजापुर | 3805802016 | 77700 | 31500 | 39400 | 148600 | 244100 | 392700 |
| 39 | शिवपुरी | 3905802005 | 77700 | 31500 | 90800 | 200000 | 570700 | 770700 |
| 40 | श्यापुर | 4005802003 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 41 | सीधी | 4105802004 | 77700 | 31500 | 56600 | 165800 | 352900 | 518700 |
| 42 | टीकमगढ़ | 4205802015 | 77700 | 31500 | 69700 | 178900 | 434300 | 613200 |
| 43 | उज्जैन | 4305802010 | 77700 | 31500 | 82800 | 192000 | 515700 | 707700 |
| 44 | उमरिया | 4405802006 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 45 | विदिशा | 4505802012 | 77700 | 31500 | 74000 | 183200 | 461500 | 644700 |
| 46 | अनूपपुर | 4605802004 | 77700 | 31500 | 39400 | 148600 | 244100 | 392700 |
| 47 | अशोकनगर | 4705802004 | 77700 | 31500 | 39400 | 148600 | 244100 | 392700 |
| 48 | बुरहानपुर | 4805802003 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| 49 | अलीराजपुर | 4905802002 | 77700 | 31500 | 43600 | 152800 | 271400 | 424200 |
| 50 | सिंगरौली | 5005802001 | 77700 | 31500 | 52300 | 161500 | 325700 | 487200 |
| 51 | आगर-मालवा | 5105802003 | 77700 | 31500 | 34900 | 144100 | 217100 | 361200 |
| योग | | | 3962700 | 1606500 | 3263300 | 8832500 | 20361700 | 29194200 |


 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 म.प्र.भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

कमांक एफ 2-1-13/22/पं.1 विभाग के आदेश कमांक एफ 2-5/22/पं 1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय एवं भत्ते स्वीकृत किए गये थे ।

2. राज्य शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत मानदेय भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । संशोधित मानदेय(दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत) में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


| कमांक | पदाधिकारी | पंचायत | वृद्धि पश्चात कुल देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत) |
|-------|-----------|--------------|---|
| 1. | अध्यक्ष | जिला पंचायत | ₹ 11,100 /- प्रतिमाह |
| 2. | उपाध्यक्ष | जिला पंचायत | ₹ 9,500 /- प्रतिमाह |
| 3. | सदस्य | जिला पंचायत | ₹ 4,500 /- प्रतिमाह |
| 4. | अध्यक्ष | जनपद पंचायत | ₹ 5,500 /- प्रतिमाह |
| 5. | उपाध्यक्ष | जनपद पंचायत | ₹ 4,500 /- प्रतिमाह |
| 6. | सदस्य | जनपद पंचायत | ₹ 1,500 /- प्रतिमाह |
| 7. | सरपंच | ग्राम पंचायत | ₹ 1,750 /- प्रतिमाह |
| 8. | पंच | ग्राम पंचायत | ₹ 100 /- प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम ₹ 600 /- वार्षिक। |

3. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होकर 1 अप्रैल 2013 से देय होगी। भारित होने वाली राशि गौण खनिज राजस्व मद से भुगतान की जावेगी ।

4. मध्यप्रदेश पंचायत जिला/जनपद पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य) नियम 1995 में संशोधन पृथक से किया जा रहा है ।

5. यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क. सी.आर. 81/चार/ब.4/2013 दिनांक 28.02.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. सज्जेश राधौरा)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

DS (PV)
(B-4)

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013


कमांक एफ 2-1-13/22/पं.1

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर उनकी टीप यू.ओ.क. सी.आर. 81/चार/ब.4/2013 दिनांक 28.02.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
4. आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल
6. समस्त संभागीय आयुक्त, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


:- आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25 .01.2021

क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1 विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-5/22/पं-1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 तथा आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पंचा-1 दिनांक 18 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान एवं सदस्यों को निम्नांकित तालिका में अंकित अनुसार मानदेय प्रदाय किया जावे :-

| क्रमांक | पदाधिकारी | पंचायत | देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत) |
|---------|-----------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्रधान | प्रशासकीय समिति जिला पंचायत | 11100/- प्रतिमाह |
| 2 | सदस्य | प्रशासकीय समिति जिला पंचायत | 4500/- प्रतिमाह |
| 3 | प्रधान | प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत | 6500/- प्रतिमाह |
| 4 | सदस्य | प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत | 1500/- प्रतिमाह |
| 5 | प्रधान | प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत | 1750/- प्रतिमाह |
| 6 | सदस्य | प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत | रूपये 100/- प्रतिमासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 600/- वार्षिक |

2. यह आदेश प्रशासकीय समिति के गठन अथवा प्रधान की नियुक्ति दिनांक जैसा कि उचित हो - से लागू होगा।


(श्रीमा निकुम)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ० क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1

भोपाल, दिनांक 25.01.2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी म०प्र० शासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा० मंत्री जी/राज्यमंत्री जी म०प्र० शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

1. सचिव, (संमन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shri
25/1/21

अवर सचिव

म०प्र० शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग